संख्याः- 13/2017/334 /45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांकः 04 मई, 2017**

विषयः- सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने के लिये प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-26/नेडा- एसई-पीवी-200 एमडब्लू-बिड-2012-13 दिनांक 06 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2013 के अन्तर्गत 90 मेगावाट की निम्न 05 परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पावर को क्रय करने हेतु टैरिफ एवं अद्यतन केस-1 बिडिंग में प्राप्त एवरेज वेटेड लेब्लाईज्ड टैरिफ के अन्तर की धनराशि यूपीपीसीएल को उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-70 के राज्य योजना के अन्तर्गत राजस्व मद में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2362.27 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए रू0 4,31,06,865.00 (रू. चार करोड़ इक्तीस लाख छः हजार आठ सौ पैसठ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

de l[;k	Qe dk uke	{kerk ¼exkokV½	vrfjr dh tku okyh ikRlkgu dh dy /kujkf'k¼:i; e½
1-	td'ku ikoj ik- fy- uk;Mk	10	4014270.00
2-	ell lef0k"V buth lkY;'kul ik-fy- fnYYkh ¼ey ifj;ktuk fodklrk Mh-d-bUQkdku fyfeVM½	10	5183730.00
3-	ell fjQDl buth ¼jkt-½ ik-fy- uk;Mk	10	5065470.00
4-	ell ,T;kj l;k ik0fy0] u;h fnYyh	10	4736970.00
5-	ell ,Lly Ätk ik0fy0 ¼ey ifj;ktuk fodklrk ,Lly bUQkiktDVl fy½	50	24106425.00
		90	43106865.00

1- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेंगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी मद में नही किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव,अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31.03.2018 तक कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं पत्र संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231 /2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर- 101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेन्शनल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन -27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं पत्र संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निर्गत निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u> ।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in